

11/12/19

Ratan K. Mehra

Sir
Identified by
Himself

Re: Sir, identified
by me
Krishna ad.

आज पत्रावली जदीनी मध्य वकील मिसबतलकी के ज.प.प
पेश करने पर पेशी में ली गई। जदीनी मध्य वकील हाजिर
उत्तिजनी। से राजीनामा होने के कारण प्रकरण आगे नहीं चलाया
व राजीनामा तस्दीक करने का निवेदन किया। जदीनी को ज.प.
आगे नहीं चलाने से राजीनामा स्वीकार कर तस्दीक किया।

चूंकि कादिनी व प्रविणकी सं.। की सम्पत्ति का विवाद राजीनामा होने से प्रकरण नहीं चलाने का निवेदन किया अतः कादिनी के हक व अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही खारिज की जाती है। मिसल फेंसल शुभार होकर नबरं से कम की जाकर फाबिल फुलर हो।

उपखण्ड अधिकारी
संरवाइ जिला-अजमेर

